

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/अवैध मादक पदार्थ से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-

थाना जहानागंजनाबालिक लड़की को भगाकर दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 23.5.2020 को थाना स्थानीय पर लिखित सूचना पर मु0अ0स0 102/20 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना से धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

दिनांक 21.09.2020 को उ0नि0 रमेश पटेल मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0स0 102/20 धारा 363/366/376 भादवि 3 व 4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र सफर राम विविपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को समय करीब 09.05 बजे सुबह मे अभियुक्त को थाना हाजा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:- अंकित कुमार पुत्र सफर राम विविपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष पुछने पर बता रहा है कि साहब मेरी बहन की शादी लड़की के भाई गौतम राम से हुयी है बहन के यहा आते जाते लड़की से मेरा प्रेम हो गया था दोनो एक दुसरे को बहुत चाहने लगे थे लड़की के माता पिता उसकी शादी कही अन्यत्र करना चाह रहे थे मुझे मालूम हुआ तो रुबी को दिनांक 16.5.2020 को समय 4.00 बजे शाम को खेत पर बुलाया और उसको लेकर मै भाग गया और हम दोनो हिन्दू रिती रिवाज से मन्दिर मे शादी कर लिए तथा कोर्ट के माध्यम से भी नियमानुसार शादी कर लिए है हम दोनो पति पत्नी के रूप मे रह रहे थे जब हमको मालूम हुआ कि रुबी के पिता मेरे विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये है तो मै स्वयं थाने पर रुबी को लेकर आया था मैने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया इस प्रकार से अपना बयान जुर्म से इन्कार करते हुए अंकित करा रहा है।

थाना दीदारगंजअवैध देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दि0 21 .11.2020 को उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र ,तलाश वांछित अपराधी/वारन्टी क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की कि एक व्यक्ति प्लास्टिक के झोले मे अवैध शराब शराब लेकर ग्राम करुई से कुशलगाँव की तरफ पैदल ही जा रहा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है उक्त सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराही कर्मचारीगण को मुखबिर खास की मंशा से अवगत कराकर कुशलगाँव तिराहे पर आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगे कि कुछ ही देर में एक व्यक्ति झोला लिये आता हुआ दिखाई दिया कि मुखबिर उस व्यक्ति की ओर इशारा करके चला गया कि उ0नि0 मय हमराही कर्म0 गण की मदद से उस व्यक्ति को पकड लिया नाम पता पूछा गया तो अपना नाम कमलेश यादव पुत्र बच्चेलाल सा0 करुई थाना दीदारगंज , आजमगढ़ बताया जिसकी बाजासा बकायदा जामा तलाशी ली गई तो उसके लिए हुए दाहिने हाथ के प्लास्टिक के झोले मे 32 शीशी रंगीन देशी शराब बरामद हुई तथा पकडे गये व्यक्ति से शराब रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत मु0अ0सं0 196/2020 धारा 60 EX ACT का दण्डनीय अपराध है कारण बताकर समय 11.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

थाना निजामाबादगौवंशी पशुओं का वध करके मांस बेचने वाले तथा पुलिस पार्टी पर दबिश के दौरान फायर करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 1.5 क्विंटल गोमांस, मांस काटने व तौलने के उपकरण, गोवंशीय पशुओं के अवशेष तथा अवैध असलहा (एक तमंचा, खोखा वएक जिन्दा कारतूस बरामद

दिनांक 21.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद श्री शिवशंकर सिंह मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि सेन्टरवा तिराहे पर जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि तीन व्यक्ति ग्राम मोहज्जोपुर में गांय काट कर भारी मात्रा में उसका मांस बेच रहे है जरिये मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके SHO शिवशंकर सिंह मय हमराहीयान तथा थाना कार्यालय को अवगत कराकर क्षेत्र में पूर्व से रवानाशुदा अधि0/कर्म/गण SSI आकाश कुमार ,उ0नि0 रामप्रकाश सिंह मय हमराहीयान व सेन्टरवा रात्रि चीता में लगे हे0का0 सुरेश यादव व का0 सुनील यादव द्वारा ग्राम मोहज्जोपुर में दबिश डाली गयी व चेकिंग किया गया तो दौराने चेकिंग पुलिस पार्टी पर अवैध असलहे से फायर करने वाले तीन व्यक्ति को पकड़ा गया तथा पूछताछ किया गया तो अपना नाम 1.तनवीर आलम उर्फ गुफरान पुत्र अबरार अहमद साकिन कुजियारी थाना निजामाबाद आजमगढ़ 2. सुल्तान अहमद पुत्र लाल मोहम्मद साकिन असगड़ा सा0 मुस्तफाबाद थाना निजामाबाद 3. मो0 अशरफ खान पुत्र परवेज मोहम्मद सा0 बीनापार थाना सरायमीर बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्तगण उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व घटना स्थल से गो मांस 1.5 क्विंटल 200 ग्राम बरामद हुआ जिसको समय करीब 04.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 204/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम , धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर तीनों अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना मेहनाजपुर

आबकारी एक्ट में एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.11.2020 को वादी राज्य द्वारा SSI श्री चन्द्रशेखर यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व भ्रमण ,तलाश वांछित अभियुक्तगण /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन क्षेत्र में मामूर था कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति 20 लीटर कच्ची नाजायज शराब लेकर CHC अस्पताल से पीछे नहर पुलिया के पास खडा है बेचने हेतु कही ले जाने के फिराक में है । मुखविर खास की सूचना पर विश्वास कर मंशा मुखविर से हमराहीयान को अवगत कराते हुए मय हमराह व मुखविर खास के रवाना होकर नहर पुलिया (बरवा मोड) के पास पहुंचा कि एक व्यक्ति हाथ में पिपिया लिए दिखाई दिया कि मुखविर खास ने इशारे से बताया कि यही वह व्यक्ति है कहकर हट बढ़ गया कि हम पुलिस वाले तेजी से नहर पुलिया पर पहुंचे कि वह व्यक्ति हम पुलिस वालो देखकर चकपकाकर पीछे मुडकर भागना चाहा कि हम पुलिस वाले हिकमत अमली से एक बारगी घेर कर पकड लिए पकडे गए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम **जितेन्द्र राम पुत्र विश्राम राम उम्र करीब 27 वर्ष सा.छपरा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर** बताया । पकडे गए व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में लिए प्लास्टिक की 20 लीटर की पिपिया में तरल पदार्थ को खोलकर सुंघा तथा सुंघाया गया तो कच्ची शराब की तीव्र गंध आ रही थी व्यक्ति से शराब के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा हाथ जोडकर माफी मांगने लगा अभियुक्त का यह कार्य अंतर्गत मु.अ.स.118/20 धारा 60 EX ACT का दण्डनीय अपराध है पकड़े गये अभियुक्त उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया ।

थाना-रानी की सराय

पुरानी रंजीश को लेकर मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20.11.20 को समय 14.24 बजे श्री रामसिंह पुत्र चन्द्रिका प्रसाद ग्राम नीबी थाना रानी की सराय आजमगढ़ के द्वारा बताया गया कि साहब मै कल दि0 19/11/2020 समय लगभग 20.30 बजे रात्री में मेरे चाचा नरसिंह के परिवार के लोगो व चाचा बुद्धीराम के परिवार से पारिवारीक पुरानी रंजीश को लेकर आपस में गाली गलौज हो रहा था कि आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा तो देखा कि बुद्धीराम पुत्र श्यामा, द्रोपती W/O बुद्धीराम,धर्मवीर, अर्जुन पुत्रगण बुद्धीराम, व अर्तिमा पुत्री बुद्धीराम सभी लोगो ने अपने हाथ में लाठी डन्डा व राड लिये हुए व गाली गलौज देते हुए नरसिंह पुत्र श्यामा , व नरसिंह की पत्नी विमलावती देवी और नरसिंह का लड़का हिमांशु उर्फ कल्लू को मार पिट रहे थे जिससे इन लोगो के सर पर काफी चोटें आई , मौके पर ही नरसिंह बेहोश हो गये थे आसपास के लोगो के मदद से 108 एम्बुलेस से सदर अस्पताल आजमगढ़ ले जाया गया वहां से स्थिती गंम्भीर होने से रेफर कर दिये रेफर करने के बाद वेदान्ता अस्पताल में तीनो लोगो की दवा इलाज चल रहा है स्थिती गंम्भीर है सूचना देने आया हूं । थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 169/20 धारा 147/308/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उ0नि0 श्री उदय राज यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

आज दिनांक- 21.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय श्री रामायण सिंह के नेतृत्व मे व0उ0नि0 श्री उदय राज यादव मय हमराही के क्षेत्र मे मामूर था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त के नामजद **अभियुक्त गण- 1. बुद्धिराम पुत्र श्यामां सा0 नीबी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 2. द्रोपती देवी पत्नी बुद्धीराम सा0 नीबी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़** कही जानें की फिराक में बेलइसा रमेश सिंह आई टी आई के सामनें मौजूद है यदि शीघ्रता की जाय तो पकड़े जा सकते है इस सूचना पर विश्वास कर व0उ0नि0 मय हमराह मय मुखबीर के मौके पर रवाना हुआ पहुंचने पर मुखबीर इशारे से एक व्यक्ति व एक महिला को चिन्हित कर हट बढ़ गया कि एक बारगी दोनो को नाम पता तस्दीक इत्मिनान कर नियमानुसार समय करीब 12.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी मानवाधिकार आयोग व मा0 न्यायालय के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया व महिला अभियुक्त को म0का0 के निगरानी में रखकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।